कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 11.06.2024

विषय: पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा थाना कैण्ट, शिवपुर व लालपुर-पाण्डेयपुर का किया गया आकस्मिक निरीक्षण।

- **सीपी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण कर ग्राउण्ड पुलिसिंग की ली जानकारी**
- **आगामी 10 दिवस मे कमिश्नरेट के सभी थानो का होगा निरीक्षण**
- **निरीक्षण मे आंकी जाएगी सभी थानाध्यक्षो, चौकी प्रभारी एव उ0नि0 की कार्यक्षमता,व्यवहारकुशलता व अनुशासन**
- **कार्यक्षमता के आधार पर थानाध्यक्षों व चौकी प्रभारी का निर्धारण**
- **अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध हो गुण्डा/गैंगेस्टर की कार्यवाही, खोली जाये हिस्ट्रीशीट**

आज दिनांक 11-06-2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा थाना कैण्ट, शिवपुर व लालपुर-पाण्डेयपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना परिसर में स्थित जी.डी. कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, जनसुनवाई, साइबर हेल्प डेस्क, सीसीटीएनएस कक्ष, बन्दी गृह, मेस, आवासीय बैरक आदि का भ्रमण कर थाना कार्यालय के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन श्री सरवणन टी. व सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट श्री विदुष सक्सेना मौजूद रहे।

- **आगन्तुक/फरियादियों से हो विनम्र व्यवहार, शिकायतों पर हो प्रभावी कार्यवाही**
- **सभी लम्बित प्रकरणों का हो शीघ्र निस्तारण, पेंडेंसी हो शून्य**
- **विजिबल पुलिसिंग के तहत हो पैदल गश्त**
- **महिला आरक्षियों को फील्ड ड्यूटियों में किया जाये नियुक्त**
- **कमियों को समय रहते किया जाये दुरूस्त, सुधार न होने पर कार्यवाही तय**

अन्य निर्देश-

1. थानों पर आने वाले आगन्तुकों/फरियादियों से विनम्रतापूर्वक व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनकर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2. जनसुनवाई व आगन्तुक रजिस्टर का अवलोकन करते हुए थाने पर आने वाले प्रत्येक शिकायतकर्ता के नाम, पता, मो0नं0 एवं थाने आने का प्रयोजन आदि को शत-प्रतिशत लेखबद्ध किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

3. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि थाने पर नियुक्त महिला आरक्षियों को पुरूष आरक्षियों की भांति बीट का आवंटन किया जाए तथा बीट आरक्षी/मुख्य आरक्षी अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा भ्रमणशील रहकर सम्भ्रान्त लोगों के सम्पर्क में रहने व आमजन की शिकायतों का विधि के अनुसार समय से निस्तारण किया जाये।

4. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि महिला हेल्प डेस्क की भांति साइबर हेल्प डेस्क पर प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाए। साइबर क्राइम की शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए सम्बन्धित बैंकों से समन्वय स्थापित कर फ्राड की गयी धनराशि को वापस कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए।

5. थानों पर पंजीकृत अभियोगों में वांछित अभियुक्तों, इनामिया, जिला बदर, एनबीडब्लू के विरूद्ध अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने व अभ्यस्त/शातिर अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा/गैंगेस्टर के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी हिस्ट्रीशीट भी खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया।

6. विजिबल पुलिसिंग के तहत थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के बाजार, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त करें। इस दौरान लोगों से संवाद स्थापित करें, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े साथ ही पुलिस का सूचना तंत्र भी मजबूत हो।

7. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना क्षेत्र में होने वाली वाहन चोरी/नकबजनी व अन्य चोरियों के रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

8. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना क्षेत्र में शरीर एवं सम्पत्ति सम्बन्धित घटित होने वाले अपराध, अपराध का तरीका, अपराधियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी एवं उन पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में प्रभारियों को निर्देशित किया गया।

9. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थानों के कार्यालय के रजिस्टरों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा रजिस्टरों को अद्यावधिक करने हेतु निर्देशित किया गया।

10. थाना परिसर का निरीक्षण करते हुए थाना कार्यालय, बैरक में रह रहे कर्मचारियों के लिए आधारभूत सुविधाएं, पेयजल की व्यवस्था, साफ-सफाई एवं रख-रखाव आदि की समुचित व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया गया।

11. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिया गया जिससे निकट भविष्य में किये जाने वाले निरीक्षण में ये कमियाँ परिलक्षित न हो।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।